सिलवासा में जल्द खुलेगा पासपोर्ट सेवा केन्द्र, सांसद नटू पटेल की मेहनत रंग लाई

सिलवासा 17 फरवरी (असली आजादी संवाददाता)। पासपोर्ट सेवा केंद्र बंद होने के बाद दादरा नगर हवेली की जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड रहा था। पासपोर्ट बनवाने के लिए लोगो को मुंबई जाना पडता था। लोगों की इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए दादरा नगर हवेली सांसद नटू पटेल ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से कई बार मुलाकात कर दादरा नगर हवेली में पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोलने की मांग की थी। लोगों की परेशानी को देखते हुए एवं दादरा नगर हवेली सांसद नटू पटेल द्वारा पासपोर्ट कार्यालय खोलने की दरख्वास्त को देखते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस पर गंभीरता दिखायी है। विदेश मंत्रालय की ओर से सांसद नटू पटेल को पत्र सं. 1166/ईएम/2017 दि.16/02/2017 को भेजकर इस बात की पुष्टि करते हुए कहा की आपके लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिलवासा में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। जिसमें पासपोर्ट सेवा केंद्र को डाक विभाग के साथ मिलकर खोला जा रहा है। शीघ्र ही सारी औपाचारिकताएं पूरी कर ली जाएगी। केन्द्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की ओर से सांसद नटू पटेल को भेजे गये पत्र में मंत्री सुषमा स्वराज ने यह भी कहा है कि वे स्वयं इस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन करे और हमारे अधिकारी आपके साथ संपर्क करके उद्घाटन के लिए आपकी सुविधानुसार तिथि तय कर लेगें। सांसद नटू पटेल ने कहा कि सिलवासा में पासपोर्ट सेवा केंद्र खुल जाने से दादरा नगर हवेली की जनता को काफी सहुलियत होगी।

पासपोर्ट के सारे काम जैसे नया पासपोर्ट बनाना हो या पासपोर्ट नवीनीकरण कराना आसान हो जाएगा।

औद्योगिक ईकाईयों में कार्यरत श्रमिकों के पहचान पत्र होना अनिवार्य : जिला मजिस्ट्रेट गौरव सिंह राजावत

सिलवासा 17 फरवरी (असली आजादी संवाददाता)। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में स्थित इकाईयों व कंपनियों में बडी संख्या में श्रमिक व कर्मचारी काम कर रहे है। कई बार उनके पास पहचान पत्र नहीं होने के कारण किसी घटना दौरान उनकी पहचान करना पुलिस के लिए चिंता का विषय बन जाता है। सीआरपीसी की धारा 144 अंतर्गत अधिकारों का उपयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट गौरव सिंह राजावत ने दानह में स्थित कंपनियों, ईकाईयों के मालिकों तथा श्रमिकों के कोंट्राक्टरों को उनके द्वारा नियुक्त सभी श्रमिको तथा कर्मचारियों के पहचान प्रमाण रखने के आदेश दिए है और साथ साथ उन्हें पहचान पत्र भी जारी करने के आदेश दिए है। यह आदेश हाल में 1 फरवरी 2017 से 60 दिनों के लिए यानि 1 अप्रैल 2017 तक लागू होंगे। इस आदेश की अवहेलना करनेवाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।